भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 438

(दिनांक 25.07.2024 को उत्तर के लिए)

विभिन्न विभागों और मंत्रालयों में रिक्त पद

438. श्री मल्लिकार्जुन खरगेः

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केंद्र सरकार में विभाग-वार कुल रिक्तियों का ब्यौरा क्या है;
(ख) केंद्र सरकार में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग सहित कुल रिक्तियों का ब्यौरा क्या है; और
(ग) केंद्र सरकार में समूह-वार कुल रिक्तियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) से (ग) खुली परीक्षा के माध्यम से अखिल भारतीय आधार पर केन्द्र सरकार के तहत सिविल पदों और सिविल सेवाओं में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के मामले में, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को क्रमशः 15%, 7.5% और 27% का आरक्षण प्रदान किया जाता है। केन्द्र सरकार में पदोन्नतियों के मामले में, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को समूह 'क' के निम्नतम स्तर पर क्रमशः 15% और 7.5% का आरक्षण प्रदान किया जाता है। ईडब्ल्यूएस से संबंधित ऐसे व्यक्ति, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की स्कीम के तहत शामिल नहीं होते हैं, उन्हें भारत सरकार के सिविल पदों और सेवाओं में सीधी भर्ती में 10% का आरक्षण प्रदान किया जाता है।

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में आरक्षित श्रेणी की रिक्तियों सहित, रिक्त पदों का होना तथा उन्हें भरा जाना, एक सतत प्रक्रिया है। रिक्तियों के संबंध में आंकड़ों का रख-रखाव, संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा किया जाता है। केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों को समयबद्ध तरीके से रिक्त पदों को भरने के लिए समय-समय पर निर्देश दिए गए हैं।
